

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1062/2011/जोधपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन-III, राज., जयपुर.अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स न्यू जांगिड़ ब्रदर्स, 1 सी-रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर.प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. वी. सोनी, अभिभाषक


.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 22/06/2015

निर्णय

1. यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत्त-‘तृतीय’, जयपुर (जिसे आगे ‘कर निर्धारण अधिकारी’ कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे ‘अपीलीय अधिकारी’ कहा जायेगा) के अपील संख्या 18/आरएसटी/जेयूडी/10-11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 04.11.2010 के विरुद्ध पेश की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी के प्रत्यर्थी के वर्ष 2001-02 के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे ‘अधिनियम’ कहा जायेगा) की धारा 30, 58 व 65 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 02.03.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मैसर्स त्रिवेणी ग्लास लिमिटेड, इलाहाबाद से प्राप्त सूचना के आधार पर कि आलौच्य अवधि में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स त्रिवेणी ग्लास से रूपये 1,75,557/- की खरीद ‘सी’ फॉर्म के समर्थन से तथा रूपये 3,84,341/- की खरीद बिना ‘सी’ फॉर्म के समर्थन से अर्थात् कुल रूपये 5,59,848/- की खरीद की गयी है, जबकि अपनी लेखा-पुस्तकों में कुल खरीद रूपये 4,11,747/- ही दर्शायी गयी है। इस प्रकार रूपये 1,48,151/- की खरीद लेखा-पुस्तकों में प्रदर्शित नहीं की गयी है। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त खरीद में 10 प्रतिशत लाभांश व भाड़ा राशि जोड़ते हुए कुल राशि रूपये 1,66,225/- की उचन्ति बिक्री किया जाना मानते हुए 12 प्रतिशत की दर से कर रूपये 19,947/- अधिभार रूपये 2992/-, ब्याज रूपये 27,243/- एवं शास्ति रूपये 45,878/- कुल रूपये 96,060/- का आरोपण आदेश दिनांक 02.03.2010 अन्तर्गत अधिनियम की धारा 30, 58 व 65 से किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध



लगातार.....2


प्रस्तुत अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 04.11.2010 से स्वीकार करते हुए कर निर्धारण आदेश अपास्त किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि मैसर्स त्रिवेणी ग्लास लिमिटेड, इलाहाबाद से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रत्यर्थी व्यवहारी की लेखा-पुस्तकों की जांच की जाने पर करापवंचित बिक्री किया जाना प्रमाणित होने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर, अधिभार, ब्याज व शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया था। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का समुचित विश्लेषण किये बिना कर निर्धारण आदेश अपास्त किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि उनके द्वारा समस्त खरीद/बिक्री का इन्द्राज अपनी लेखा-पुस्तकों में किया हुआ था। कर निर्धारण अधिकारी ने तथाकथित सूचना के आधार पर कोई जांच किये बिना करापवंचित बिक्री किया जाना अवधारित करते हुए मांग सृजित किये जाने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली पर ना तो मैसर्स त्रिवेणी ग्लास लिमिटेड, इलाहाबाद से प्राप्त सूचना उपलब्ध है एवं ना ही उक्त सूचना के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की गयी जांच सम्बन्धी कोई दस्तावेज उपलब्ध हैं। किन बिल/बिल्टियों के जरिये माल क्रय किया गया है एवं कितना माल क्रय किया गया है तथा कितना विक्रय किया गया है, इस सम्बन्ध में कोई रेकॉर्ड कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी का आदेश मात्र अप्रमाणित सूचना के आधार पर मांग सृजित करने से अधिक कुछ नहीं है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की करापवंचित खरीद/बिक्री प्रमाणित किये बिना आदेश पारित किया गया है, जिसे न्यायोचित नहीं माना जा सकता। इस सम्बन्ध में




माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1970) 26 एस.टी. 3544 टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर; (1977) 39 एस.टी. 478 स्टेट ऑफ केरला बनाम के.टी.सादुली युसूफ; माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2002) 3 टैक्स अपडेट 227 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम शिवम् ज्वैलर्स एवं (2002) 111 एस.टी.टी. 188 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी व अन्य बनाम शीलवन्ती देवी में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि खरीद/बिक्री प्रमाणित किये बिना कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया जाना अविधिक है। इसी प्रकार बिना किसी जांच के आरोपित किये गये कर, ब्याज एवं शास्ति के प्रकरण में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त (2014) 38 टैक्स अपडेट 299 वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर बनाम मैसर्स दिनेश टोबेको इण्डस्ट्रीज जोधपुर में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

"In view of various judgements no case of evasion of tax can be framed on the basis of cases framed by income tax or excise departments. Assessing authority has not proved any evasion of tax on sale of imported goods. Therefore, imposing tax & penalty without proving any undisclosed sale-purchase cannot be held legal. Since assessing authority has not proved any evasion of tax on sale in his independent inquiry no tax can be imposed on the dealer on the basis of case of evasion framed by the customs department."

7. उपरोक्त विवेचन से यह निष्कर्षित किया जाता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना कोई जांच किये एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी की खरीद/बिक्री प्रमाणित किये अनुमानित तौर पर खरीद अवधारित की जाकर कर, अधिभार, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया है, जिसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

8. परिणामतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।


(मनोहर पुरी)
सदस्य